न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 21/2025 **दायर दिनांकः 19.03.2025**

उनवान

1. रामलखन आयु 46 वर्ष पुत्र बद्रीलाल जाति माली निवासी खुरी तहसील अटरु जिला बारां (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 26.05.2025**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एवं माल खुरी पटवार हल्का खुरी तहसील अटरू में खाता संख्या 114 का खसरा नं. 430 का रकबा 1.53 है0, खसरा नं. 435/1514 का रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.63 है0 भूमि स्थित है जो प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/21 दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा फौती नामान्तरण में वारिसान का नाम दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम सहवन से रामलखन पुत्र बद्रीलाल के स्थान पर रामलाल पुत्र बद्रीलाल अंकित कर दिया है, जो कि गलत कर दिया है जबकि प्रार्थी का सही नाम रामलखन पुत्र बद्रीलाल है जो कि उसके आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड व बैंक डायरी आदि दस्तावेजो में भी रामलखन पुत्र बद्रीलाल नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थी राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर अपना नाम रामलाल पुत्र बद्रीलाल के स्थान पर रामलखन पुत्र बद्रीलाल दर्ज करवाने का अधिकारी है, बिना

सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी ने दिनांक 06/03/2025 को श्रीमान तहसीलदार साहब से राजस्व रिकॉर्ड में हो रही त्रुटि को दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी। इसलिए माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम खुरी तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी ग्राम/माल खुरी में खाता संख्या 114 का खसरा नं. 430 का रकबा 1.53 है., खसरा नं. 435/1514 का रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.63 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र बद्रीलाल को दुरुस्त किया जाकर रामलखन पुत्र बद्रीलाल दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/1330 दिनांक 02.05.2025 से रिपोर्ट पेश की गईं।

अभिभाषक प्रार्थी ने साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र दशरथ पुत्र बद्रीलाल जाति माली निवासी खुरी तहसील अटरू व रामलखन पुत्र बद्रीलाल जाति माली निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां के पेश किये गये तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खुरी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 114, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पासबुक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सरपंच ग्राम पंचायत खुरी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र गवाहान व रिपोर्ट तहसीलदार अटरू का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण साक्ष्य गवाहान तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल खुरी पटवार हल्का खुरी तहसील अटरू में खाता संख्या 114 का खसरा नं. 430 का रकबा 1.53 है0 व खसरा नं. 435/1514 का रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.63 है0 आराजी में खातेदार रामलाल पुत्र बद्रीलाल के स्थान पर रामलखन पुत्र

बद्रीलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल खुरी पटवार हल्का खुरी तहसील अटरू में खाता संख्या 114 का खसरा नं. 430 का रकबा 1.53 है0 व खसरा नं. 435/1514 का रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.63 है0 आराजी में खातेदार रामलाल पुत्र बद्रीलाल के स्थान पर रामलखन पुत्र बद्रीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां